रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2001/ज्येष्ठ 18, 1923

No. 381] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2001/JYAISTHA 18, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2001

का. आ. 506(अ).— केन्द्र सरकार ने, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 27 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1051 (अ) जिसे इसमें इसके पश्चात अधिसूचना कहा गया है) के तहत यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) को विधि विरुद्ध संगम घोषित किया था ;

और केन्द्र सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1132 (अ) के तहत विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण गठित किया जिसके अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री मनमोहन सरीन थे ;

और केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना को 19 दिसम्बर, 2000 को उक्त अधिकरण को इस बात का न्यायनिर्णयन करने के उद्देश्य से भेजा था कि क्या उक्त संगम को विधि विरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं ;

और उक्त अधिकरण ने, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 मई, 2001 को आदेश दिया जिसमें उक्त अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि की गई थी ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार उक्त अधिकरण के उक्त आदेश को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है, अर्थात :

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के सामने

के संबंध में : **यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम**

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन

उपस्थित : श्री यू0 हजारिका, भारत संघ के स्थायी काउंसेल ।

श्री विंजय हंसारिया, असम राज्य के काउंसेल।

यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑप असम-एक पक्षीय।

आदेश

विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम। 1967 की धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार ने अपनी दिनांक 27.11.2000 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1051 (अ) के तहत यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (जिसे इसमें इसके बाद "उल्फा" कहा गया है) तथा इसके अनेक विंगों को इस आधार पर विधि विरुद्ध संगम घोषित किया था कि इसका घोषित उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से असम को भारत से "स्वंतंत्र" कराना है । उल्फा तथा इसके विंगों को विधि विरुदद्ध संगम घोषित करने के आधार अधिसूचना में विस्तार से दिए गए हैं तथा इनका इस आदेश में आगे उल्लेख किया जाएगा ।

केन्द्र सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (3) के परन्तुक के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग यह निदेश देने के लिए किया गया कि अधिसूचना, इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए जा सकने वाले किसी आदेश के अध्यधीन इसके प्रकाशन की तारीख से तत्काल प्रभावी होगी ।

उपरोक्त अधिसूचना के परिणामस्वरूप दिनांक 19.12.2000 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1132 (अ) के तहत गठित इस अधिसूचना को इस अधिकरण को धारा 4 के अंतर्गत यह न्याय निर्णयन करने केलिए निर्देश दिया गया था कि क्या उल्फा को विधि विरूद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं ।

1. इस अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के अंतर्गत उल्फा को नोटिस जारी करने का निदेश दिया गया था । यह निदेश दिया गया गया था कि असम में परिचालित एवं प्रकाशित दैनिक राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से तथा रेडियों और दूरदर्शन पर प्रसारण के द्वारा नोटिस तामील किए जाएं । जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर यथा संभव प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर नोटिस तामील किए जाने का भी निदेश दिया गया था ।

2. यह प्रमाणित करते हुए तामील का शपथपत्र दायर किया गया कि 23.1.2001 को "दैनिक असम","दि सैन्टीनल" और "नार्थ ईस्ट टाइम्स" में नोटिस प्रकाशित कर दिए गए थे । यह भी सूचना मिली है कि उल्फा के कार्यकर्ताओं को नोटिस तामिल किए गए हैं । इसका दूरदर्शन और आकाशवणी के समाचार बूलेटिन में भी प्रसारण किया गया है । इसके अलावा, इसे जिलों में उप आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के कार्यालय में लगाया गया है । इसका पुलिस स्टेशनों में प्रदर्शन किया गया है और इसकी ड्रमों को पीटकर सार्वजनिक घोषणा की गई ।

3. प्रकाशन और नोटिस की तामील के बावजूद, जैसा कि उपरोक्त में कहा गया है, 30 दिन के भीतर लिखित में कारण बताने के लिए, कि क्यों न उल्फा को विधि विरुद्ध सगम के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, न तो उल्फा की तरफ से कोई पेश हुआ है और न ही इसके द्वारा या इसकी ओर से कोई कारण बताया गया है ।

4. केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व श्री यू0 हजारिका, एडवोकेट और असम राज्य का प्रतिनिधित्व श्री विजय हंसारिया एडवोकेट ने किया है ।

5. दिनांक 27.11.2000 की अधिसूचना में केन्द्र सरकार ने उल्फा को विधि विरुद्ध घोषित करने के लिए निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया है :

(i) असम को मुक्त करने के अपने उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, भारत की प्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता को विच्छिन करने के लिए आशयित अनेक अवैध और हिंसात्मक क्रियाकलापों मे लिप्त रहा है ।

(ii) असम को मुक्त करने के लिए विधि विरुद्ध सगमों, जैसे नेशलन सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैड, के साथ संबद्ध रहा है ।

(iii) इसकी विधि विरुद्ध संगम के घोषणा किए जाने के दौरान भी यह अपने ध्येय और उद्देश्य के अनुसरण मे विधि विरुद्ध क्रियाकलापों में लगा हुआ था.

अधिसूचना में आगे बताया गया है कि विधि विरुद्ध और हिंसक क्रियाकलापो मे निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(i) 27.11.98 से 30.6.2000 की अवधि के दौरान 357 हिंसक और आतंकवादी घटनाएं हुई जो यू0एल0एफ0ए0 द्वारा की गई मानी जाती है.

(ii) धन ऐंठने और अलगाववादी गतिविधियों, धन ऐंठने के जरिए धन इकट्ठा करने की अनेक गतिविधियों तथा फिरौती के लिए अपहरण की गतिविधियो के अलावा, निर्दोष नागरिकों के जीवने को खतरे में डालने के क्रियाकलापों मे लिप्त रहा,

(iii) अपने आतंकवादी और विद्रोही क्रियाकलापों को जारी रखते हुए नए काडरों की भर्ती और जिला, आंचलिक और शाखा समिति को पुनर्गठित करने के लिए धीरे-धीरे किन्तु व्यवस्थित अभियान चलाने के लिए आधारभूत स्तर पर अपने संगठनात्मक नेटवर्क की संरचना करने के कार्यक्रम को प्रारंभ करना,

(iv) संगठन का प्रचार खंड सक्रिय रहा है और उसने इकाई के लक्ष्यों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिकथितशोषण को प्रदर्शित करते हुए और तथाकथित मुक्ति संघर्ष में सम्मिलित होने के लिए लोगो को प्रोत्साहित करते हुए, और उसके द्वारा उनकी निष्ठाओं को नष्ट करते हुए गुप्त पुस्तिकाएं, मैगजीन प्रकाशित की है ;

(v) अपने काडर के पुलिस भेदियों/सरकार के सहयोगियों की सूची तैयार करने के लिए हिदायत देना जिससे उनके विरुद्ध प्रतिकारात्मक कार्रवाई करने के लिए लक्ष्य की पहचान की जा सके,

(vi) यू0एल0एफ0ए0 के सैन्य खण्डों को आम जनता के साथ मिल जाने और समनुदेशित कार्यों को निष्पादित करने का अनुदेश देना,

(vii) पड़ोसी देशों में शरण स्थल स्थापित कर लिए है और इन देशों में अनेक प्रशिक्षण कैम्प स्थापित किए हैं ।

केन्द्रीय सरकार की यह राय थी कि उपरोक्त कारणो से यू.एल.एफ.ए. के क्रियाकलाप भारत की प्रभुत्ता और अखंडता के लिए हानिकर हैं और इसे विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था।

6. केन्द्रीय सरकार की यह भी राय थी कि यू.एल.एफ.ए. को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगल घोषित करना आवश्यक था ताकि उल्फा द्वारा पुलिस, सशस्त्र बलों और नागरिकों के विरुद्ध लगातार बढ़ाई जा रही हिंसा कोरोका जा सके । अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि इस घोषणा को तत्काल रूप से प्रभावी बनाया जाए ताकि इसे अपने कार्यकर्ताओ को पृथकतावादी, विध्वंसक और आतंकवादी/हिंसक

क्रियाकलापों को बढ़ाने से रोका जा सके । केन्द्रीय सरकार का यह भी मत था कि यदि इस घोषणा को तत्काल रूप से प्रभावी नहीं बनाया जाता तो उल्फा भारत की प्रभुत्ता और अंखंडता के प्रति विद्वेषी बलों के सहयोग से खुले रुप से राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों का प्रचार करेगा । उल्फा सीमा पार से अधिक अवैध शस्त्र और गोला बारूद प्राप्त करेगा । यह अपनी गैर कानूनी गतिविधियो को समर्थन देने के उद्देश्य से धन ऐंठने, धनराशि एकत्र करने तथा अवैध कर एकत्र करने के अवसर का इस्तेमाल भी करेगा ।

7. केन्द्रीय सरकार ने उल्फा के कार्यकलापो और उद्देश्यो के बारे में एक संक्षिप्त सार अधिकरण के समक्ष दायर किया है । केन्द्रीय सरकार की ओर से गृह मत्रालय में निदेशक, श्री जतिन्द्र बीर सिह द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ-पत्र दायर किए गए हैं । असम राज्य की ओर से श्री जी0के0 कलिता, संयुक्त सचिव, असम सरकार द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ-पत्र दायर किया गया है । सर्व/श्री आर0डी0 बरुआ, पुलिस अधीक्षक, विशेष आपरेशन यूनिट, टी0पी0सिंह, पुलिस अधीक्षक, शिव सागर जिला, दीपक कुमार, पुलिस अधीक्षक, डिबरूगढ़ जिला, मुकेश अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, तिनसुखिया जिला, अनुराग तांखा, पुलिस अधीक्षक, नलवाड़ी जिला, एम0पी0गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, दारांग जिला, ए0जी0 बरुआ, पुलिस अधीक्षक, और पी0डी0 गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा भी साक्ष्य के रूप मे शपथ-पत्र दायर किए गए हैं । शपथ-पत्र दायर करने वाले अभिसाक्षियों के बयान भी 28.4.2001 को नई दिल्ली में और 19.5.2001 तथा 21.5.2001 को डिबरूगढ़ में रिकार्ड किए गए थे ।

8. श्री जतिन्द्र बीर सिंह ने साक्ष्य के रूप मे अपने शपथ-पत्र में और मौखिक रूप से रिकार्ड किए गए बयान में यह बताया है कि उल्फा के संविधान के अनुसार इसके लक्ष्यो एव उद्देश्योंमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) सशस्त्र क्रांति द्वारा असम की संप्रभुता प्राप्त करना;

(ख) असम और इसके पड़ोसी क्षेत्रों अर्थात नागालैड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के हितों और लोगों की रक्षा करना;

(ग) असम के राजस्व पत्र स्त्रोतों जैसे तेल और प्राकृतिक गैस, जंगल आदि पर पूर्व नियंत्रण स्थापित करना;

(घ) भारतीय और गैर भारतीय शोषण के विरुद्ध जन समर्थन जगाना;

(ङ) असमी लोगों के किसी प्रकार के दमन और प्रतिबंध का डट कर मुकाबला करना;

(च) सामान्य और विशिष्ट हितों की ताकतो के विरुद्ध लडाई लडना ;

(छ) उल्फा के लक्ष्यों और उद्दश्यों के अनुरूप विदशी समर्थन प्राप्त करने के लिए विदेशों के साथ विचार-विमर्श और पारस्परिक समझ के क्षेत्र खोलना ताकि लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें;

(ज) समान विचारों और सिद्धांतोंवाले देशों तथा राजनीतिक राष्ट्रों के साथ विचारों और पारस्परिक सहायता का आदान-प्रदान करना;

उल्फा के संविधान की एक प्रति रिकार्ड पर प्रस्तुत की गई है ।

9. साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि असम को भारत से अलग करने के उद्देश्य की घोषणा करने, भारत की संप्रभुत्ता और अखंडता को भंग करने के लिए अवैध और हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त होने तथा लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करने धन ऐंठने, राजनैतिक नेताओं, पुलिस अधिकारियों, व्यापारियों तथा अन्य लोगों की हत्याएं करने, धमकियां देने, डराने तथा लोगों का अपहरण करने, आग्नेय अस्त्र छीनने, भूमि पर जबरन कब्जा करने तथा अवैध रूप से का ऐंठने के कारण उल्फा पर दिनांक 27.11.1990 से विधिविरुद्ध संगम के रूप में प्रतिबंध लगाया गया था । इस प्रतिबंध के 27.11.1990 से अब तक जारी रहने तथा बाद के अधिकरणों द्वारा घोषणा की पुष्टि के बावजूद, उल्फा ने पुलिस, सशस्त्र बलों तथा नागरिकों के विरुद्ध हिंसा में बढ़ोत्तरी की है, जिससे उल्फा को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक हो गया । यह बात रिकार्ड में लाई गई है कि दिनांक 27.11.1998 से 30.6.2000 की पिछली प्रतिबंध अवधि के दौरान, उल्फा हिंसा की 357 वारदातों, 172 व्यक्तियों की हत्या, 156 लोंगों को घायल करने तथा 49 व्यक्तियों के अपहरण की घटनाओं में संलिप्त रहा । इन घटनाओं में राजनैतिक नेताओं, अर्धसैनिक बलों, पुलिस पर हमले, फिरौती वसूल करने के लिए सरकारी अधिकारियों तथा व्यापारियों का अपहरण करना भी शामिल है ।

शपथ पत्र के अनुलग्नक-I में उल्फा द्वारा किए गए अपराधों की मुख्य घटनाओं की सूची संलग्न है । शपथ पत्र से यह भी पता चलता है कि उल्फा ने बांग्लादेशी अधिकारियों के ज़रिए पाकिस्तान की आई एस आई के साथ भी निकट संपर्क बना लिए हैं तथा इसके अनेक कैडरों को पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर तथा पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर प्रशिक्षित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त उल्फा के नेता गिरफ्तारी से बचने के लिए बांग्लादेश और भूटान में शरण ले रहे थे तथा नए कैडरों को प्रशिक्षण देने तथा असम में अभियान चलाने के लिए भूटान, म्यांमार और बाग्लादेश में शिविरों की स्थापना की रिपोर्ट भी मिली है । उल्फा के अध्यक्ष ने नेशनल सोशलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड के अध्यक्ष को उनके बेसक्षेत्र में चल रहे उल्फा कैडरों के प्रशिक्षण के बारे में लिखा था तथा उनसे परामर्श तथा मार्गदर्शन लिए अनुरोध भी किया था । उल्फा के अध्यक्ष ने भी अपने पाक्षिक सूचना पत्र में स्वतंत्रता दिवस का वहिष्कार करने का आह्वाहन किया था और दूसरे आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों से कहा था कि वे अपनी संबद्धता समाप्त कर दें तथा "भारतीय उपनिवेश के शिकंजे से लोगों की मुक्ति" नाम से संयुक्त आंदोलन छेड़ें ।

10. श्री अशोक कलिता द्वारा दायर शपथ पत्र में उल्फा के संविधान की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई हैं इसमें उल्फा और इसके संवर्गों द्वारा 27.11.1998 से 26.11.2000 तक की गई हिंसा और अपराध की घटनाओं का ब्यौरा भी दिया गया हे । इनमें 222 लोगों की हत्या की गई, 53 लोंगों का अपहरण किया गया और और 32 मामलों में हथियार छीने गए ।

शपथ पत्र के अनुलग्नक-2 में घटनाओं का ब्यौरा और विवरण दिया गया है । अनुलग्नक ए-3 में बड़ी घटनाओं का सार दिया गया है । जून 2000 से हुई बड़ी घटनाओं से यह देखा जा सकता है कि पुलिस, सेना के कार्मिकों पर हमले की घटनाओं में वृद्धि हुई है । 25.8.2000 को उल्फा के उग्रवादियों ने सुरंग मे विस्फोट किया जिससे सी आर पी एफ के 2 कार्मिक मारे गए और 5 जवान घायल हुए एवं उन व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई जिन्हें गिरफ्तार किया गया था और जिन पर निगरानी रखी जा रही थी ।

22.10.2000 को उल्फा के उग्रवादियों ने पब्लिक बाजार में एक व्यापारी को गोली मारी । इसके पश्चात् उन्होंने अंधाधुंध गोलिया चलाईं जिससे कई लोग घायल हो गए और मारे गए । 20.10.2000 की एक अन्य घटना में उल्फा लोगों ने गोलियां बरसाई और 10 बिहारी लोगो को गोली से मार डाला । 16.11.2000 की एक अन्य घटना में उल्फा के कार्यकार्ता एक घर के अंदर घुसे और अंधाधुंध गोलिया चलाईं जिससे घटना स्थल पर ही 7 लोग मारे गए । उक्त घटनाओं से यह पता चलता है कि उल्फा की हिंसा की वारदातों में वृद्धि हुई है और इसकी इच्छानुसार हमला करने की क्षमता में वृद्धि हुई है जिससे वे भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर सकें ।

11. शपथ पत्र में मांग नोटिस और धन ऐंठने के नोटों की प्रतियां लगाई गई हैं । यह भी नोट किया जाए कि उल्फा काअध्यक्ष, अरबिंद राजखोवा ने असमी सैनिकों से अपील की थी कि वे कारगिल अभियान के दौरान युद्ध भूमि छोड़ दे ।

12. श्री आर0डी0 बरुआ, पुलिस अधीक्षक, विशेष आपरोशन यूनिट के साक्ष्य के रूप में दायर शपथ पत्र में उल्फा द्वारा बांग्लादेश, म्यामांर और भूटान में प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए जाने की बात कही गई हैं । इन स्थनों से वे हमला करो और भागों की रणनीति अपना रहे हैं ।

13. सर्व श्री टी0पी0 सिंह, पुलिस अधीक्षक, शिव सागर जिला, ए डब्ल्यू/4; दीपक कुमार, पुलिस अधीक्षक डिबरुगढ़ जिला ए डब्ल्यू/5; मुकेश अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, तिनसुखिया जिला, ए डब्ल्यू/6; अनुराग तंखा, पुलिस अधीक्षक, नागवाडी जिला, ए डब्ल्यू/7; एम0पी0गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, दारांग जिला, डब्ल्यू/8; ए0जी0 बरुआ पुलिस अधीक्षक, ए डब्ल्यू/9; और पी0डी0 गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक राजकीय रेलवे पुलिस, ए डब्ल्यू/10 ने हत्या, अपहरण, विस्फोटों, फिरौती, पुलों को उड़ाने आदि से संबंधित अपने-अपने क्षेत्राधिकार में पंजीकृत विभिन्न मामलों के बारे में अधिकरण के समक्ष अभिसाक्ष्य दिए हैं । जब ये पुलिस अधीक्षक अपने अपने अभिसाक्ष्य दे रहे थे तो अधिकरण ने उनसे कहा कि वे उक्त अपराधों में अल्फा की संलिप्तता और जिम्मेदारी का पता लगायें और उसका समाधान करें । अल्फा कार्यकर्ताओं द्वारा अपराधों और गैर-कानूनी गतिविधियों के किए जाने के समर्थन में उक्त अभिसाक्षियों ने अपनी केस डायरियों तथा मुखविरों एवं शिकायत करने वालों के बयानों का हवाला दिया । कुछ मामलों में यह बताया गया कि अपराध करने के ढंग एवं कार्यप्रणाली तथा हथियारों के प्रयोग से साफ तौर पर उल्फा की संलिप्तता प्रदर्शित हुई ।

14. श्री अनुराग तांखा, पुलिस अधीक्षक, नालवाड़ी ने भी 27.10.2000 को दीवाली के दिन मौजमस्ती कर रहे लोगों पर अल्फा आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी करने के संबंध में अभिसाक्ष्य दिया । इस घटना में नौ लोग घटना-स्थल पर ही मर गए थे और सात घायल हुए थे जिनमें से एक की बाद में मृत्यु हो गई ।

श्री अनुराग तांखा ने मामला सं0 61/2000 के बारे में भी अभिसाक्ष्य दिया जिसमें लोक निर्माण विभाग मंत्री, नागेन शर्मा की एंबेसेडर कार के नीचे एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ था जिसके परिणमस्वरूप मंत्री महोदय और 4 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी । इसी प्रकार श्री ए0जे0 बरुआ, पुलिस अधीक्षक ने उस वाहन में विस्फोट होने के संबंध में अभिसाक्ष्य दिया जिसमें सब-इंस्पेक्टर जीतेन फूकॉन यात्रा कर रहे थे । इस घटना में छह पुलिस कार्मिक और चार नागरिक मारे गए थे । बताया जाता है कि सब-इंस्पेक्टर जीतेन फूकॉन अल्फा के विरुद्ध जोरदार ढंग से जांच और कार्यवाही कर रहे थे तथा अल्फा की केन्द्रीय समिति ने उनकी हत्या करने के निदेश दे रखे थे और उपरोक्त घटना इसी का परिणाम थी ।

15. उपरोक्त शपथपत्रों ओर रिकार्ड किए गए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि 1997 में किसी समय गठित उल्फा के विधिविरुद्ध संगमों से घनिष्ट संबंध रहे हैं और यह अपने संविधान के अनुसार सशस्त्र संघर्ष के जरिए असम राज्य को भारत गणतंत्र से मुक्त करने के अपने मुख्य उद्देश्य को पूरा करने तथा अधिसूचना में उल्लिखित विधिविरुद्ध कार्यकलापों, जिनके संबंध में अधिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, को करके उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय है । केन्द्र सरकार और असम सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए शपथपत्रों और असम के विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंजीकृत मामलों के संबंध में मौखिक साक्ष्य भी दिए हैं, के शपथपत्रों में लगाए गए आरोपों को अस्वीकार न किए जाने की स्थिति में अधिकरण के समक्ष दिए गए बयानों की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है ।

16. सशस्त्र विद्रोह द्वारा असम की संप्रभुता प्राप्त करने के उद्देश्य से उल्फा कैडर हत्या, अपहरण, फिरौती और धन ऐंठने की विभिन्न घटनाओं में शामिल हैं । उल्फा की हिंसंक एवंअवैध गतिविधियों का उद्देश्य जनता के बीच दहशत एवं असुरक्षा की गहरी भावना को पैदा करना है, विशेषतः उनके लिए जो उल्फा के उद्देश्यों एवं कार्यप्रणाली के समर्थक नहीं हैं या जो उसके विरोधी हैं । यह भी प्रमाणित हो चुका है कि उल्फा सामान्यतः लोगों को भारत संघ एवं भारतीय संविधान के खिलाफ उकसा रहा है तथा हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, जीवन को विच्छिन्न एवं लूट-पाट कर रहा है और पुलिस कार्मिकों एवं सुरक्षा बलों को अपना निशाना बना रहा है । उल्फा पर प्रतिबंध के बावजूद इसकी तिथि विरुद्ध गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई हैं । बल्कि सेना, पुलिस तथा सुरक्षा बलों के खिलाफ हमलों में वृद्धि हुई है । आसूचना रिपोर्टों से भूटान में अड्डों की स्थापना तथा पाकिस्तान आई.एस.आई. द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने का पता चलता है । यह बताया गया है कि असम पुलिस द्वारा 17 पाकिस्तानी आई.एफ.आई. कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है । इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के केन्द्र सरकार की यह राय पूर्णतः उचित थी कि बड़े पैमाने पर अवैध एवं हिंसक, विध्वसंक गतिविधियां इसके कैडर की पुनः सरंचना तथा बड़ें, पैमाने पर हथियार प्राप्त करने आदि को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से उल्फा को विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक था ।

17. रिकार्ड पर साक्ष्य के मद्देनजर मैं संतुष्ट हूं कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में अधिसूचना का0आ0 1051 (अ) दिनांक 27.11.2000 द्वारा उल्फा को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण थे । तदनुसार उक्त अधिसूचना के केन्द्र सरकार द्वारा कीं गई घोषणा की पुष्टि की जाती है । यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस अधिसूचना को 27.11.2000 से तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए धारा 3 की उप धारा (3) के परन्तुक के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथ्य और परिस्थितियां विद्यमान थी ।

ह0/-
(न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन)
विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)अधिकरण

मई 24, 2001

[फा. सं. 11011/65/2000-एन.ई. IV]
सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2001

S.O. 506(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), declared the United Liberation Front of Asom (ULFA) to be an Unlawful Association vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1051 (E), dated the 27th November, 2000 (hereinafter referred to as the said notification);

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the said Act, constituted vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1132 (E), dated the 19th December, 2000, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal, consisting of Justice Shri Manmohan Sarin, Judge of Delhi High Court;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, referred the said notification to the said Tribunal on the 19th December, 2000, for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring the said association as unlawful;

And whereas the said Tribunal, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, made an order on the 24th May, 2001 confirming the declaration made in the said notification;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (4) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby publishes the said order of the said Tribunal namely :—

BEFORE THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION)) TRIBUNAL

In re: United Liberation Front of Asoam

CORAM:

Hon'ble Mr. Justice Manmohan Sarin

Present : Mr. U. Hazarika, Standing Counsel for Union of India.

Mr. Vijay Hansaria, Counsel for the State of Assam

United Liberation Front of Asoam—*ex parte.*

ORDER

The Central Government, vide its notification bearing No. S.O. 1051(E) dated 27-11-2000, in pursuance of the powers conferred under Section (3) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, declared the United Liberation Front of Asoam (hereinafter referred to as the "ULFA") and the various wings thereof, to be an unlawful association on the ground that it has, as its professed aim, the "Liberation" of Assam from India through an armed struggle, in alliance with other armed secessionist organisations of the North East Region. The grounds for declaring the ULFA and its wings as an unlawful association are set out, in detail, in the notification and shall be adverted to later in this order.

The Central Government also invoked its powers under the proviso to Sub-section (3) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act (hereinafter referred to as the Act), to direct that the notification shall have immediate effect from the date of its publication, subject to any order that may be made under Section 4 of the Act.

Consequent upon the notification, referred to above, reference was made under Section 4 of the Act to this Tribunal constituted vide notification bearing No. S.O. 1132 (E) dated 19-12-2000 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the ULFA as an unlawful association.

1. Notices were directed to be issued to the ULFA under sub-section (2) of Section 4 of the Act. It was directed that notices be served through the Daily National and local newspapers circulated and published in Assam as well as by broadcasting on radio and television. Notices were also directed to be served by pasting the same on the Notice Board of the office of each District Magistrate/Tehsildar at the Headquarters of the District or Tehsil, as feasible.

2. Affidavit of service has been filed, averring that notices had been published in the "Dainik Assam", "The Sentinel" and the "North East Times" on 23-1-2001. Notices are also reported to have been served on the activists of ULFA. It has also been broadcast in the news bulletin of the Doordarshan and All India Radio. Besides, it had been affixed in the office of the Deputy Commissioners and Superintendents of Police in the Districts. It has been displayed in the police stations and proclaimed by public announcement by beating of drums.

3. Despite publication and service of notice, as aforesaid, to show cause in writing within 30 days, as to why ULFA should not be declared as an unlawful association, neither has anyone put in appearance on behalf of ULFA nor has any cause been shown by it or on its behalf.

4. The Central Government has been represented by Mr. U. Hazarika, Advocate and the State of Assam has been represented by Mr. Vijay Hansaria, Advocate.

5. In the notification dated 27-11-2000, the following grounds have been mentioned for the Central Government to form the opinion to declare the ULFA as an unlawful organisation :

(i) indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam;

(ii) aligned itself with other unlawful associations like the National Socialist Council of Nagaland to liberate Assam;

(iii) in pursuance of its aims and objectives, engaged in several unlawful and violent activities during the currency of its declaration as an unlawful Association.

The notification proceeds to state that the unlawful and violent activities included :

(i) 357 violent and terrorist incidents which are attributed to the ULFA during the period from 27-11-1998 to 30-6-2000;

(ii) indulging in a spate of extortion and secessionist activities, and endangering lives of innocent citizens, in addition to its acts of kidnapping for ransom;

(iii) embarking on a programme of restructuring its organisational network at grass root level by launching a quiet but systematic drive for recruitment of fresh cadres and revamping the district, anchalik and sakha committees, while continuing its terrorist and insurgency activities;

(iv) publicity wing of the organization has remained active and has published clandestine leaflets, magazines highlighting the goal of the outfit, alleged exploitation by the Central Government and exhorting the people to join the so-called liberation struggle and thereby subverting their loyalties;

(v) instructing its cadres to compile the list of police informers/government collaborators and to identify targets for retaliatory action against them;

(vi) instructing the army wing of the ULFA to mingle with the common people and execute assigned tasks;

(vii) established sanctuaries in neighbouring countries and has established a number of training camps in these countries.

The Central Government was of the opinion that for the aforesaid reasons the activities of ULFA, were detrimental to sovereignty and integrity of India and it was declared to be an unlawful association.

6. The Central Government was also of the opinion that it was necessary to declare ULFA as an unlawful association with immediate effect to meet the sustained and increased violence committed by the ULFA against the police, the armed forces and the civilians. It was also necessery, inter alia, to have the declaration with immediate effect so as to prevent it from mobilizing its cadres for escalating the secessionist, subversive and terrorist/violent activities. The Central Government was of the opinion that unless the declaration was made effective immediately, the ULFA would openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and integrity ULFA would procure more illegal arms and ammunitions from across the border. It would also use the opportunity for extortion and collection of fund and illegal taxes for supporting its unlawful activities.

7. The Central Government has filed before the Tribunal a brief resume regarding the aims and objects and activities of ULFA. Affidavits by way of evidence has been filed on behalf of the Central Government by Mr. Jatinder Bir Singh, Director, Ministry of Home Affairs. On behalf of the state of Assam, Mr. G. K. Kalita, Joint Secretary, Government of Assam, has filed his affidavit by way of evidence. Affidavits by way of evidence have also been filed by S/s R. D. Baruah, Superintendent of Police, Special Operations Units, T. P. Singh, Superintendent of Police, Shiv Sagar District; Deepak Kumar, Superintendent of Police, Dibrugarh District; Mukesh Aggarwal, Superintendent of Police, Tinsukhia District, Anurag Tankha, Superintendent of Police, Nalbari District; M. P. Gupta, Superintendent of Police, Darrang District; A. G. Baruah, Superintendent of Police; and P. D. Goswami, Superintendent of Police, Government Railway Police. The statements of the deponents who had filed their affidavits were also recorded on 28-4-2001 at New Delhi and on, 19-5-2001 and 21-5-2001 at Dibrugarh.

8. Mr Jatinder Bir Singh, in his affidavit by way of evidence and as orally recorded, has stated the aims and objectives of ULFA as per its constitution, to include :

(a) to achieve sovereignty of Assam by armed revolution;

(b) to safeguard the people and interest of Assam and its neighbouring lands, i.e. Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Tripura;

(c) to have full control over the revenue resources of Assam, such as, Oil and Natural Gas, Forests, etc.

(d) to gain public support against Indian and Non-Indian exploitation;

(e) to stand up against any suppression and repression of the Assamese masses;

(f) to fight against forces of common and specific interest;

(g) to open the field of discussion and understanding for political support with foreign countries in conformity with the aims and objectives of the ULFA for achieving their goal and design.

(h) to exchange thoughts and mutual help with the countries having identical thoughts, ideology and political notions.

A copy of the constitution of ULFA has been produced on record.

9. It has been shown by evidence that ULFA was banned as an unlawful organisation with effect from 27-11-1990 for professing the aim of liberating Assam from India, indulging in illegal and violent activities to disrupt the sovereignty and integrity of India and to create a sense of insecurity amongst the people, extoring money, committing murders of political leaders, police officials, businessmen and others, indulging in threats, intimidation, kidnapping of people, snatching of fire arms, forcible occupation of lands and extorting tax illegally. Despite the ban having continued since 27-11-1990 and the declaration having been upheld by the successive Tribunals, there has been increased violence committed by

the ULFA against the police, the armed forces and civilians, which necessitated the declaration of ULFA as an unlawful association with immediate effect. It has been brought on record that during the last ban period from 27.11.1998 to 30.6.2000, the ULFA indulged in 357 instances of violence, killing 172 persons, injuring 156 and kidnapping 49 persons. The instances include attacks on political leaders, para-military forces, police, kidnapping of government officials and businessmen for ransom.

Annexure-I to the affidavit listed the major incidents of crimes committed by the ULFA. The affidavit also disclosed that ULFA had established close nexus with Pakistan ISI through Bangladesh officials and several of its cadres were being trained in Pakistan, Pakistan occupied Kashmir and at Pak-Afghan border. Besides, the leaders of the ULFA were taking shelter in Bangladesh and Bhutan to evade arrest and there were reports of camps having been set up in Bhutan, Myanmar and Bangladesh for training of new cadres and conducting operations in Assam. The Chairman of ULFA had written to the Chairman of the National Socialist Council of Nagaland about the ULFA cadres undergoing training at the latter's base area with a request to provide them with advice .and guidance. The Chairman of ULFA had also, in its fortnightly newsletter, called for boycott of Independence Day and also called upon other terrorist and secessionist organisations to cut across their own affiliations and for a joint campaign to what was termed as "liberating the people from Indian colonial occupation."

10. The affidavit filed by Shri Ashok Kalita also produced a copy of the constitution of ULFA. It also gave details of the incidents of violence and crimes from 27-11-1998 to 26-11-2000, indulged in by ULFA and its cadres, resulting in murder and killing of 222 persons, 53 kidnapping and 32 cases of snatching of arms.

Annexure A-2 to the affidavit gives the particulars and descriptions of the incidents. Annexure A-3 gives the gist of the major incidents. The major incidents from June 2000 show increased attacks on police, army personnel. On 25-8-2000 ULFA militants caused a mine explosion, resulting in death of 2 CRPF personnel and injuries being sustained by 5 as well as death of persons who had been arrested and were being escorted.

On 22-10-2000 ULFA militants shot a businessman in public bazar. Subsequently they resorted to indiscriminate firing resulting in injuries and death to several members of the public. In other incident on 20.10.2000, ULFA activists fired and gunned down 10 Biharis. Yet another incident on 16-11-2000 ULFA activists entered a house and fired indiscriminately, resulting in death of 7 persons on the spot. The above incident demonstrate the increased violence and the capability of ULFA to strike at will to cause panic and insecurity.

11. The affidavit, has also produced copies of the demand notices and ransom notes. It may also be noted that the Chairman of ULFA, Arbinda Rajkhowa had appealed to the Assamese armymen to leave the battlefield during the Kargil Operations.

12. The affidavit by way of evidence of Mr. R. D. Baruah, Superintendent of Police, Special Operations Unit, has disclosed the setting up of training camps in Bangladesh, Mynamar and Bhutan by ULFA, from where they are adopting the tactics of hit and run.

13. S/s.T.P. Singh, Superintendent of Police, Shiv Sagar District, Aw/4; Deepak Kumar, Superintendent of Police, Dibrugarh District AW/5; Mukesh Aggarwal, Superintendent of Police, Tinsukhia District, AW/6.; Anurag Tankha, Superintendent of Police, Nalbari District, AW/7; M.P. Gupta, Superintendent of Police, Darrang District, AW/R; A.G. Baruah, Superintendent of Police, AW/9; and P.D. Goswami, Superintendent of Police, Government Railway Police, AW/10, have deposed before the Tribunal with regard to the various cases that were registered within their respective jurisdictions, relating to murders, kidnappings, explosions, ransom, blowing up of bridges, etc. The Superintendents of Police, during their depositions, were examined by the Tribunal to ascertain and satisfy itself regarding the involvement and responsibility of the ULFA for the said crimes. The said deponents, in support of their assertion of perpetration of crimes and unlawful acts by ULFA cadres, referred to the case diaries and the statements of informers and complainants. In some cases, it was pointed out, that the manner of crime, modus operandi and use of weapons additionally demonstrated the involvement of ULFA.

14. Shri Anurag Tankha, Superintendent of Police, Nalbari, deposed regarding the indiscriminate firing by ULFA extremists on Diwali revellers on 27-10-2000. In this incident, nine persons had died on the spot and seven injured, out of which one succumbed later.

Mr. Anurag Tankha also deposed about Case No.61/2000, in which a powerful bomb had exploded under the ambassador car of PWD Minister, Nagen Sharma, resulting in the death of the Minister and four others.

Similarly, Mr. A. J. Baruah, Superintendent of Police, deposed with regard to the blasting of the vehicle in which S. I. Jiten Phukon was travelling. Six police personnel and four civilians had died in this incident. S.I. Jiten Phukon is stated to have been vigorously investigating and proceedings against ULFA and the Central Committee of ULFA had given directions for his elimination and, hence, the aforesaid incident.

15. From the aforesaid affidavits as well as the oral and documentary evidence brought on record, it is seen that ULFA, which was formed sometime in the year 1979, has been maintaining close liaison with unlawful associations and is acting to fulfil its main aim and objective, as per its Constitution, to liberate the State of Assam from the Indian Republic through armed struggle and to achieve the aforesaid objective by committing the unlawful activities mentioned in the notification and evidence with regard to which has been led before the Tribunal. In the absence of denial of any of the allegations made in the affidavits filed on behalf of the Central Government and the State of Assam and the affidavits of the Superintendents of Police of various districts of Assam, who have also orally deposed with regard of cases under their Jurisdiction, there is no reason to doubt the credibility of the version placed before the Tribunal.

16. Various incidents of murder, killing, kidnapping ransom and extortion are being indulged into by ULFA cadres to achieve the object of sovereignty of Assam by armed revolution. The violent and illegal activities by ULFA are intended to create terror and a deep sense of insecurity amongst people, especially those who are either opposed to or do not extend support to the objectives and methods employed by ULFA. It is further proved that ULFA has been inciting people, in general, against the Union of India and the Constitution of India and committing murders, kidnappings for ransom, disrupting life, extorting money and forgetting the police personnel and security forces. Despite the ban on ULFA there has been no let up in its lawful activities. Rather there has been an increase in attacks against Army, Police and security forces. Intelligence reports reveal establishment of bases in Bhutan and training by Pakistan ISI. 17 Pakistan ISI. activists are stated to have been arrested by Assam Police. The opinion of Central Government in these facts and circumstances was fully justified that the declaration of ULFA as an unlawful Association with immediate effect was necessary to prevent large scale illegal and violent terrorist activities, regrouping of its cadres and acquisition of large scale arms etc.

17. In view of the evidence on record, I am satisfied that there is sufficient cause for declaring ULFA to be unlawful association by the Notification No. S.O.1051 (E) dated 27-11-2000, in pursuance of the powers conferred under Section (3) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Accordingly the declaration made by the Government of India in the said notification is hereby confirmed. It is also held that fact and circumstances existed for invoking the power under proviso to sub-section (3) of Section 3 for the notification to be made applicable with immediate effect from 27-11-2000.

May 24, 2001

JUSTICE MANMOHAN SARIN
Unlawful Activities (Prevention) Tribunal.

[F. No. 11011/65/2000–NE. IV]

SURENDRA KUMAR, Jt. Secy. (NE)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.